



13404  
20/03/2014  
3.30 P.M.  
16 Dates  
No.:

बिहार BIHAR श्री रामाधार सिंह पिता स्व. देवधारी सिंह वनाधीन पूर्वी ज्यो अता वोजिला जहानाबाद

K 448111  
श्रीरामपूर

बिनाम लक्ष्मी  
हरनाथ सहाय  
मुद्रांक बिक्रेत: जहानाबाद  
ला० न०-18/71

24 FEB 2014

“प्रारूप-26”  
(नियम 4क देखिए)



36-जहानाबाद निर्वाचन क्षेत्र से (निर्वाचन क्षेत्र का नाम) लोक सभा  
..... (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला  
शपथ-पत्र।

में रामाधार सिंह भाग-क स्व० देवधारी सिंह  
पुत्र/पुत्री/पत्नी  
आयु 58 वर्ष, जो शहीद भगत सिंह नगर, पूर्वी ऊँटा, जहानाबाद  
पत्रालय, थाना एवं जिला-जहानाबाद

..... (डाक का पता लिखें) का/की निवासी हूँ, और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ-



रामाधार सिंह

(1) मैं क्यूनिस्ट पार्टी ऑफ इण्डिया ( मार्क्सिस्ट-लेनिनिस्ट ) ( लिबरेशन ) ( राजनैतिक दल का नाम ) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी/एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा है।

( जो लागू न हो उसे काट दे )

(2) मेरा नाम..... 216-जहानाबाद, विधान सभा, बिहार..... ( निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम ) में भाग सं०..... 206..... के क्रम सं०..... 015..... पर प्रविष्ट है।

(3) मेरा संपर्क टेलीफोन नं..... 9431617861..... है,  
मेरा ई-मेल आईडी ( यदि कोई हो तो )..... sharma..... है  
एवं मेरा सोशल मीडिया एकाउंटस ( यदि कोई हो )..... sharma..... है।

(4) स्थाई लेखा संख्याक ( पैन ) के ब्यौरे और आय-कर विवरणी फाइल करने की प्रास्थिति-

क्रम सं.	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय ( रूपए में )
1	स्वयं	X शून्य	X शून्य	X शून्य
2	पति या पत्नी	X शून्य	X शून्य	X शून्य
3	आश्रित-1	X शून्य	X शून्य	X शून्य
4	आश्रित-2	X शून्य	X शून्य	X शून्य
5	आश्रित-3	X शून्य	X शून्य	X शून्य

(5) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध ( अपराधों ) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें समक्ष अधिकारित वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं । यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध ( अपराधों ) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी ।

(i) निम्नलिखित मामला ( मामले ) मेरे विरुद्ध लंबित है जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं ।

(क) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/ संख्याएँ

(i) जहानाबाद थाना कांड संख्या ( केस संख्या ) :- 132/04

(ii) करपी थाना कांड संख्या ( केस संख्या ) :- 40/97

(iii) कुर्था थाना कांड संख्या ( केस संख्या ) :- 109/92

रामाधर सिंह



(ख) सम्बन्धित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है ।

(i) धारा :- 188 भा.द.वि.

(ii) धारा :- 153 (ए) भा.द.वि. तथा 17 सी.एल.एक्ट

(iii) धारा :- 147, 148, 149, 323, 324, 337, 307, 120 (बी) भा.द.वि. 27 आर्म्स. एक्ट ।

(ग) न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख

(i) मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, जहानाबाद ट्रायल नं० 291/2013; संज्ञान की तारीख - 27.8.1998

(ii) मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, जहानाबाद ट्रायल नं० 2007/2013 ; संज्ञान की तारीख 15.4.2006

(iii) मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, जहानाबाद ट्रायल नं० 435/2010 ; संज्ञान की तारीख 05.8.1996

(घ) न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई

(i) एस. के. राय न्यायिक दण्डाधिकारी, जहानाबाद ।

(ii) एस. के. राय न्यायिक दण्डाधिकारी, जहानाबाद ।

(iii) जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जहानाबाद ।

(ङ) तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गए थे

(i) 19.09.2000

(ii) लम्बित (हाई कोर्ट के आदेशानुसार)

(iii) 20.04.2012

(च) क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं

- हाँ, करपी थाना कांड संख्या 40/97 पटना हाई कोर्ट द्वारा रोक लगाई गई । नं० :- 28902/2000

रामप्रकाश सिंह



- (ii) निम्नलिखित मामला(मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है  
{पूर्वाक्त  
मदद(i) में वर्णित मामलों से भिन्न}-

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	शून्य
(ख)	उन मामलों के ब्योरे जहां न्यायालय ने संज्ञान लिया है अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके(जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है	शून्य
(ग)	पूर्वोक्त आदेश(आदेशों) क विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील(अपीलो)/आवेदन(आवेदनो)(यदि कोई हो) के ब्योरे	शून्य

6. मुझे किसी अपराध(अपराधों)(लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951(1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा(1) या उपधारा(2) में निर्दिष्ट या उपधारा(3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध(अपराधों) से भिन्न, के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है/नहीं दिया गया है-

यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा-

निम्नलिखित मामलो में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है-

(क)	उन मामलों के ब्योरे अधिनियम (अधिनियमों) की धारा(धाराएं) और अपराध(अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके(जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है	शून्य
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें)	शून्य
(ग)	अधिरूपित दंड	शून्य



रामा चार सिंह

(घ)	क्या सिद्धोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/है। यदि हां, तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्रास्थिति	20/11/20
-----	--	----------

(7). मैं मेरे, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों(जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूँ

अ. जंगम आस्तियों के ब्यौरे:-

टिप्पण 1 - संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम मे आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2 - जमा/विनिधान की दशा में क्रम सं., रकम, जमा की तारीख स्कीम बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिए जाने है।

टिप्पण 3 - सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिबेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4 -यहां आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 75क के अधीन स्पष्टीकरण(5) में है।

टिप्पण 5 - रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथकतया दिये जाने है।

मैं इसके द्वारा अपना, पति/पत्नि तथा अपने आश्रितों की परिसम्पत्तियों (अचल/चल/बैंक जमा आदि) का विवरण इसके नीचे दे रहा हूँ ।

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	हाथ में नकदी	3000/-	3000/-	20/11/20	20/11/20	20/11/20
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी है) वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और उसे प्रत्येक जमा में रकम	मगध ग्रामीण बैंक शाखा-पिंजौरा, जहानाबाद 4392.00 रु० मात्र	एस.बी.आई बैंक A/C :- 33510551567 50000.00₹	20/11/20	20/11/20	20/11/20



रामानन्द सिंह

क्रम सं	विवरण	स्वयं	पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(iii)	कंपनियों/पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिबेंचरों/शेयरों तथा यूनियों में विनिधान के ब्यौरे और रकम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पालिसियों में विनिधान के ब्यौरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्हीं वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्य तथा रकम।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vi)	मोटरयान/वायुयान/याट/पोत (मेक, रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	मोटर साईकल TVS-1 BR25A-9663 कीमत-41895.00 ₹	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएं) (भार और मूल्य के ब्यौरे)	Null	सोना-6 ग्राम 18000.00₹ चाँदी-50 ग्राम 2650.00₹	शून्य	शून्य	शून्य
(viii)	कोई अन्य आस्तियाँ जैसे कि दावों/हित का मूल्य	नोकिया मोबाइल कीमत-4100.00 ₹	Null	Null	शून्य	शून्य
(ix)	समग्र कुल मूल्य	53,387.00 ₹	73,650.00 ₹	शून्य	शून्य	शून्य

(आ) अचल परिपरिसम्पतियों का विवरण


टिप्पण 1- संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।  
टिप्पण 2- प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्रम सं	विवरण	स्वयं	पत्नी	आश्रित-1	अश्रित-2	आश्रित-3
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	एकड़ में कुल माप)	शून्य	1.67, डी0 खाल नं0- 743, 896, 628, 638, 1001, 206, 1000 प्लॉट नं0 - 663	शून्य	शून्य	शून्य



रामाचर सिंह

क्रम सं.	विवरण	स्वंय	पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हाँ या नहीं)	शून्य	सास द्वारा	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास, सनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	शून्य	करीब तीन लाख रुपये	शून्य	शून्य	शून्य
	गैर कृषि भूमि- अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	शून्य	6 डी0 खाता- 1000 प्लॉट-663 (खपरैल मकान)	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	दो कट्टा	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हाँ या नहीं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य



रामा चार सिंह

	विकास, सनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	शून्य	डेढ़ लाख रु० करीब	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	वणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र(वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है(हा या नहीं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत(क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास, सनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
		आवासीय भवन(अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति(अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्याक(संख्याएँ)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iv)	क्षेत्र(वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	निर्मित क्षेत्र(वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है(हा या नहीं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य




रामधर सिंह



	क्रय के समय भूमि की लागत(क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास, सनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iv)	अन्य(जैसे कि संपत्ति में हित)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vi)	पूर्वोक्त (i) से (v) का कुल चालू बाजार मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

- (8). मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/को शोध्यों के ब्यौरे नीचे देता हूँ-  
(टिप्पण - कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यष्टिक के नाम और उनमें प्रत्येक के समक्ष रकम के ब्यौरों का पृथक विवरण दें)

क्रम सं	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था(संस्थाओं को ऋण या शोध्य बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टिकों, निकाय को ऋण या शोध्य नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कोई अन्य दायित्व	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	दायित्वों का कुल योग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	सरकारी शोध्य - सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य



रामानन्द सिंह

	टेलीफोन/मोबाइल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	सरकारी परिवहन(वायुयान और हेलिकाप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	आय-कर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	धनकर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	सेवाकर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	नगरपालिका/संपत्ति कर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विक्रयकर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कोई अन्य शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	सभी सरकारी शोध्यों का कुल योग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iv)	क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हां तो अंतर्वलित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लंबित है का वर्णन करें।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(9). वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे:-

(क) स्वयं..... राजनीति

(ख) प्रति या पत्नी..... कृषि कार्य/गृहणी

(10). मेरी शैक्षिक अहर्ता नीचे दिये अनुसार है-

1. मैट्रिक-1971 - सर्वोदय उच्च विद्यालय लारी, कुर्था ( बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना

आई टी आई ( फीटर ट्रेड ) - 1973 - गया, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, गया

डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौर दें)



रामलाल सिंह

भाग-ख

(11). भाग-क के (1) से (10) तक दिये गये ब्यौरे का उद्घरण

1	अभ्यर्थी का नाम	श्री/श्रीमती/कुठ - रामाधार सिंह		
2	डाक का पता	शहीद भगत सिंह नगर, पूर्वी ऊँटा, पत्रालय+थाना+ जिला-जहानाबाद (बिहार)		
3	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	36- जहानाबाद, बिहार, 216-जहानाबाद		
4	उस राजनैतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है(अन्यथा स्वतंत्र लिखें)	कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इण्डिया (मार्क्सिस्ट-लेनिनिस्ट) (लिबरेशन)		
5	(i) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं।	3 (तीन)		
5	(ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है(उपर मद (1) उल्लिखित मामलों से भिन्न)	3 (तीन)		
6	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धदोष ठहराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया है(लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 की उपधारा(1), उपधारा(2) या उपधारा(3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवां)	नहीं		
7		शुल्क का स्थायी लेखा संख्या	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है	कुल दर्शित आय
	(क) अभ्यर्थी	शून्य	शून्य	शून्य
	(ख) पति या पत्नी	शून्य	शून्य	शून्य
		शून्य	शून्य	शून्य



रामाधार सिंह

8	आस्तियों और दायित्वों के व्यौरे (रूपये में)						
	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3	
ख	जंगम आस्तियां (कुल मूल्य)	₹ 2.00	₹ 2.00	₹ 2.00	₹ 2.00	₹ 2.00	
	स्थावर आस्तियां	₹ 2.00	₹ 2.00	₹ 2.00	₹ 2.00	₹ 2.00	
	I	स्वअर्जित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत	₹ 2.00	₹ 2.00	₹ 2.00	₹ 2.00	
	II	क्रय के पश्चात् स्थावर संपत्ति की विकास/संनिर्माण लागत (यदि लागू हो)	₹ 2.00	₹ 2.00	₹ 2.00	₹ 2.00	
	III	निम्नलिखित की अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत	₹ 2.00	₹ 2.00	₹ 2.00	₹ 2.00	
		(क) स्वर्जित आस्तियां (कुल मूल्य) (ख) विरासती आस्तियां (कुल मूल्य)	₹ 2.00	₹ 2.00	₹ 2.00	₹ 2.00	
		दायित्व	₹ 2.00	₹ 2.00	₹ 2.00	₹ 2.00	
	9	(i)	सरकारी शोध्य (कुल)	₹ 2.00	₹ 2.00	₹ 2.00	₹ 2.00
		(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	₹ 2.00	₹ 2.00	₹ 2.00	₹ 2.00
	10	ऐसे दायित्व जो विवादाधीन है					
(i)		सरकारी शोध्य (कुल)	₹ 2.00	₹ 2.00	₹ 2.00	₹ 2.00	
(ii)		बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	₹ 2.00	₹ 2.00	₹ 2.00	₹ 2.00	



प्रमाणपत्र/दिलोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/ विश्वविद्यालय शिक्षा के व्यौरे देते

रामाधर सिंह

## सत्यापन

मैं, उपर उल्लिखित अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हू कि इस शपथपत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें कोई भी तात्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि -

(क) मेरे विरुद्ध उपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामलों से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है।

(ख) मेरी पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास उपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8, 9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

आज तारीख 22 MAR 2014 को सत्यापित किया गया।



Attested  
Arvind Kumar  
Advocate  
22-03-2014

रामेश्वर सिंह  
अभिसाक्षी

Om Prakash  
22.3.14  
NOTARY  
Jehanabad

22 MAR 2014

Authorised U/S 2 (d) of  
The Notaries Act 53 of 1957

टिप्पण - 1. शपथपत्र नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन को 3.00 बजे अपराहन तक फाइल किया जाना चाहिए।

टिप्पण - 2. शपथपत्र पर किसी शपथ कमिश्नर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।

टिप्पण - 3. सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़े, यदि मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो यथास्थित शून्य या लागू नहीं होता उल्लिखित किया जाना चाहिए।

टिप्पण - 4. शपथपत्र टंकित या सुपाठयरूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।

टिप्पण - 5. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.09.2013 को WP(C) संख्या 121-2008 में रिसर्जेंस इंडिया बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य के मामले में अभ्यर्थियों द्वारा अपूर्ण शपथ-पत्र दाखिल किये जाने के संबंध में दिए गये न्याय निर्णय के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा शपथ पत्र के सभी स्तंभों को भरा जाना है। कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाते समय निर्वाची पदाधिकारी द्वारा यह जाँच कर लिया जाना है कि नाम निर्देशन पत्र के साथ दाखिल किये गये शपथ पत्र के सभी स्तंभ भर लिए गये हैं, अगर ऐसा नहीं किया गया है तो निर्वाची पदाधिकारी अभ्यर्थी को खाली स्तंभों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु स्मार देंगे। माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है कि अगर किसी मद में उपलब्ध कराये जाने हेतु कोई जानकारी नहीं है तो शून्य या लागू नहीं या ज्ञात नहीं जो उपयुक्त हो ऐसे स्तंभ में दर्ज किये जायेंगे। उनके द्वारा कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जाना है। यदि अभ्यर्थी स्मार दिये जाने के बाद भी स्तंभ को भरे जाने में असफल होता है तो नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा के समय नाम निर्देशन पत्र निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।

टिप्पण - 6. शपथ पत्र के पारा 3 में जानकारी निम्नलिखित रूप में उपलब्ध करायी जायेगी।

मेरा दूरभाष संपर्क संख्या/संख्यायें है/हैं..... मोबाईल नं. - 943161786)

मेरा इ-मेल आईडी(अगर कोई हो) है.....

एवं मेरा सोशल मीडिया एकाउंटस(अगर कोई हो) है.....

शून्य

शून्य